न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (RAS)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 10/2019

निर्णय दिनांक :- 23.02.2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. जगदीश पिता मोहन कुम्हार नि.- भूपालसागर, तह.- भूपालसागर जिला - चित्तौड़गढ़		1. तहसीलदार भूपालसागर

राजस्व प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

* निर्णय *

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है –

1. यह है कि राजस्व ग्राम भूपालसागर के हाल आ.न. 680 रकबा 0.35 हैक्ट., आ.न. 681 रकबा 0.35 हैक्ट. कुल किता-02 कुल रकबा 0.70 हैक्ट. स्थित है जो हाल जमाबंदी में प्रार्थी जगदीश के 1/6 व मांगी के 1/6 हिस्से दर्ज है भूमि आयी हुई है जिसको आगे प्रार्थना-पत्र में वादग्रस्त आराजियात से संबोधित किया गया है। शेष हिस्सा रेवेन्यु रेकर्ड खातेदार है।

2. यह है कि ग्राम भूपालसागर के खाता संख्या 679 आ.न. 1135 रकबा 0.04 हैक्ट., आ.न. 1136 रकबा 0.14 हैक्ट., आ.न. 1137 रकबा 0.31 हैक्ट., आ.न. 702 रकबा 0.30 हैक्ट., आ.न. 703 रकबा 0.30 हैक्ट. कुल किता 05 कुल रकबा 01.09 हैक्ट. स्थित है जो प्रार्थी के 1/6 व प्रार्थी की माँ मांगी के 1/6 हिस्से दर्ज है, शेष हिस्सा 1/6 सहखातेदार के यथावत है।

3. यह है कि उपरोक्त आराजियात [illegible] की माता मांगी द्वारा दिनांक 11.06.15 को रजिस्टर्ड हकत्याग [illegible] नामान्तकरण [illegible] संख्या- 1336 द्वारा प्रार्थी की माता मांगी बेवा मोहन के 1/6 [illegible] जगदीश मुतबन्ना [illegible] 1/3 दर्ज हुआ। हाल चौसाला जमाबंदी कायम करते समय अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियो ने

— लगातार —

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.24 10:48:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़
23/2/19
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की माता मांगी बेवा मोहन पुनः दर्ज कर दिया। इसलिए न्याय हित में वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड दुरस्त कर प्रार्थी की माता मांगी बेवा मोहन 1/6 के स्थान पर जगदीश मुतबन्ना मोहन 1/6 साबिक देह खातेदार भूपालसागर दर्ज करवाने का निवेदन किया।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार भूपालसागर को सम्मन जारी किया गया तथा तहसीलदार भूपालसागर ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जिसमें बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में मौजा भूपालसागर के नामान्तकरण संख्या 1336/16.12.2016 में हुए हकत्याग का अगले जमाबंदी सेटेशन में इन्द्राज नही होने से धारा-136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वाद प्रस्तुत किया है। परन्तु प्रकरण उक्त धारा के अधीन न होकर पटवारी की लिपीकीय त्रुटि का होने से राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 66 के तहत शुद्धि का होने से जरिये शुद्धि-पत्र 10/27.08.2019 एवं 13/27.8.19 से रेकर्ड में शुद्धि करा दी गई है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर डॉप करा निस्तारित कराने की कृपा करावे।

हमने तहसीलदार भूपालसागर के जवाब प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रार्थी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में रेकर्ड त्रुटि बाबत चाही गयी दरख्वास्त का तहसीलदार भूपालसागर के जवाब प्रार्थना-पत्र के अनुसार पूर्व में ही रेकर्ड शुद्धि कर अमल दरामद हो चुका है और उक्त प्रकरण में अब कोई कार्यवाही होना शेष नही है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर फैसल शुमार होकर निर्णय से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.24 10:48:00 IST
Reason: SelfAttested

सुखाराम पिंडेल (RAS) 23.2.19
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner